

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

प्र06-विविध-49/2013

३ 23


पटना, दिनांक - 08/02/16

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में पात्र परिवारों की पहचान हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने एवं इसके अनुरूप परिवारों की पहचान कर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र परिवारों को आच्छादित करने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-8815 दिनांक-19.11.2015 निर्गत किया गया था।

इसपर सम्यक् विचारोपारान्त उक्त अधिसूचना के कंडिका-4 में वर्णित "राज्य सरकार की अ0जा0/अ0ज0जा0 के Group 'D' के कर्मी" के स्थान पर "सरकारी सेवा के अ0जा0/अ0ज0जा0 के Group 'D' के कर्मी" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-8815 दिनांक-19.11.2015 पर मंत्रिपरिषद् से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(पंकज कुमार)


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-49/2013

३ 23

खाद्य-पटना/दिनांक-08/02/16

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी मुद्रित एक हजार प्रतियों (1000 प्रतियां) विभाग को सुलभ कराने हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-49/2013

३ 23

खाद्य-पटना/दिनांक-08/02/16

प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।